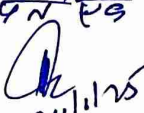


आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/1/25	173/24 (वाद सं.) <u>आदेश</u> धाना प्रभासी बिली के प्रतिवेदन जापोठ (1496/2024) 30-11-2024 का अवलोकन करने से यह प्रतीत हुआ कि अनुमंडल दण्डाधिकारी जगोदर-सलिया के लान्नीय अधिकारिता क्षेत्र में निम्नलिखित विवाद वाले भूमि पर विवाद के कारण लोक परिशांति भंग होने की संभावना है। अतः संतुष्ट होकर दिनांक 18-12-24 की प्रभासी तारीख से निवेद्याज्ञा प्रवृत्त किया गया - मौजा - पुराना नगर, धाना - बिली खता न. 43, प्लॉट न. 134, रकबा - 11. डी०, चौकड़ी - 30 प्लॉट न. 135 द. - रान्ना, पू. मोहम्मद साई का जमीन, प. सुरवदेव साव नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण-पृच्छा भी की गई। प्रथम पक्ष अधोदस्ताशरी के न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु धाना प्रभासी बिली के समक्ष दिए प्रारंभिक अपवेदन के अनिवारित कोई- कारण-पृच्छा अवकाश राजस्व संबंधी - दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दुसरी ओर द्वितीय पक्ष ने	

देश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	निम्नलिखित कारण पृच्छा तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराया। प्रथम पक्ष के आरोपन तथा द्वितीय पक्ष के कारण-पृच्छा, राजस्व संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य के अध्ययन अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उन पक्ष अलग अलग विषयपत्र (sale deed) के सहारे विवादग्रस्त भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। स्पष्टतः इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि उन पक्ष के मध्य उत्पन्न भू-विवाद एक-एकीपत्र अर्थात् स्वत्व (Title) से संबंधित है। एक-एकीपत्र पर निर्णय या विचारण अप्रोपेटना शरी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त वाद में कोई अंतिम आदेश पालिक्का न्यायाधीश नहीं है। प्रथम पक्ष यदि चाहें तो वाद के निपटारे हेतु व्यवहार न्यायालय में appropriate suit दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त होखित की जाती है। लेखापत्र एवं संशोधित  अनुमोदन दोसा जगोदा-सरिचा  अनुमोदन दोसा जगोदा-सरिचा	